

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं:- 0141-2740837, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-1340/2013)/अलसे-II,III/5866

दिनांक:- 27/03/25

कार्यालय आदेश

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटलाइट चिकित्सालय, आमेर जिला जयपुर ने पत्र क्रमांक संस्थापन/2024-25/846(6) दिनांक 11.03.2025 से प्राप्त शिकायत को संज्ञान में लाया जाकर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 12603) कार्यालय प्रमुख चिकित्साधिकारी, राजकीय सैटलाइट चिकित्सालय, आमेर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II का मुख्यालय कोषालय, अजमेर में रहेगा। श्री मीणा को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश-माथुर)


निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव,

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-2619/2013)/अलसे-II,III/5866

दिनांक:- 27/03/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री महोदया राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटलाइट चिकित्सालय, आमेर जयपुर।
4. कोषाधिकारी, अजमेर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
8. श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय प्रमुख चिकित्साधिकारी राजकीय सैटलाइट चिकित्सालय, आमेर।
9. निजी पत्रावली, एसीआर शाखा, पदस्थापन सीट।


(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)